प्रेस नोट **दिनांक 13.12.2025**

मंदिरों में चोरी करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के समान बेचकर 3270 /- नगदी तथा घटना में प्रयुक्त चापड़ बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर पर आज दिनांक 13.12.2025 को कन्धेरी मन्दिर के पास से समय करीब 11.05 बजे ग्राम ताजोपुर सूखापट्टी में स्थित शिव मन्दिर से दिनांक 10.12.2025 को दान पात्र तोड़कर चोरी किये गये रुपये कुल 610/- रुपये तथा थाना मोहम्मदाबाद गोहना के इदारतगंज शिव मन्दिर से माता दुर्गा व पार्वती देवी के मूर्ति से सोने का नथिया व लाकेट चोरी कर बेचकर प्राप्त कुल 2660/-रुपये बरामद किया गया तथा अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज चापड़ बरामद करते हुए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशीष पाण्डेय उर्फ तनी पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय निवासी ग्राम टेकनगाड़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्न करीब 24 वर्ष को हिरासत पुलिस लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत इमामबाड़े से कुछ सामान व नगदी चोरी किया था जो खर्च हो गया है।

नाम पता अभियक्त –

1. आशीष पाण्डेय उर्फ तनी पाण्डेय पुत्र गोपाल पाण्डेय निवासी ग्राम टेकनगाड़ा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 553/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 67/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. 0अ0सं0 144/2023 धारा 380/411 भादवि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 519/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि० थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. ग्राम ताजोपुर सूखापट्टी शिव मन्दिर से दान पात्र से चोरी रुपया 610/- तथा
2. थाना मोहम्मदाबाद गोहना ग्राम इदारतगंज शिव मन्दिर से माता दुर्गा व पार्वती देवी के मूर्ति से सोने का नथिया व लाकेट चोरी कर बेचकर प्राप्त रुपया 2660/-
3. एक अदद नाजायज चापड़ बरामदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. उपनिरीक्षक रंजय कुमार सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
3. हे0का0 गोपाल यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
4. का0 मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

दहेज हत्या संबंधित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर पर थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा दिनांक आज 13.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना बहुआ गोदाम हाइवे तिराहे का पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 518/2025 धारा 85/80(2)/103(1) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियक्तगण/अभियुक्ता 1. सुबाष चौहान पुत्र स्व० सुखदेव चौहान निवासी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 52 वर्ष 2. राकेश चौहान पुत्र सुबाष चौहान निवासी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्म्र करीब 27 वर्ष 3. विमला देवी पत्नी सुबाष चौहान निवासिनी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. सुबाष चौहान पुत्र स्वः) सुखदेव चौहान निवासी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. राकेश चौहान पुत्र सुबाष चौहान निवासी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
3. विमला देवी पत्नी सुबाष चौहान निवासिनी ग्राम बबुआपुर सिंहाव पण्डितपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 518/2025 धारा 85/80(2)/103(1) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह
2. उपनिरीक्षक शंकर कुमार यादव
3. हे0का0 अवधेश कुमार यादव
4. हे0का0 प्रभाकर सिंह
5. का0 रिशु कुमार गौतम
6. म0का0 राधा सरोज
7. म0का0 ज्योतिमा पाण्डेय

वध हेतु जा रहे 04 राशि गोवंश व 01 अदद पिकअप बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कुसुम्हा नहर के पुलिया के पास से अभियुक्त हासिम उर्फ संतोष पुत्र जब्बार उर्फ आमीन निवासी चकशाह दौलत जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के कब्जे से वध हेतु ले जा रहे 04 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 259/2025 धारा 3/5 ए/8 गोवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. हासिम उर्फ संतोष पुत्र जब्बार उर्फ आमीन निवासी चकशाह दौलत जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी–

1. 04 राशि गोवंश पशु।
2. घटना प्रयुक्त 01 अदद पिकअप बिना नंबर प्लेट की।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 संतोष कुमार सिंह
2. उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह
3. हे0का0 अरविन्द यादव
4. का0 दुर्गेश कुमार

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 40,000/- रु0 कुल धनराशि (चालीस हजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 40000 (चालीस हजार) रुपये, पीडित जाहिद इमाम निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 40000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त

किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 15,638 **/- रु0 कुल धनराशि (पन्द्रह हजार छः सौ अड़तीस) रुपये थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री अभय कुमार सिंह व थानाध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र कुमार जी के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायतकर्ता संख्या 33109250121402 आवेदक अंजनी कुमार थाना हलधरपुर जनपद मऊ ने दिनांक 17/09/25 को साइबर फ्रॉड द्वारा अपने खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा गूगल पे के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति ने 32838-/ का फ्रॉड कर लिया था जिसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसके तहत थाना हलधरपुर में नियुक्त साईबर टीम उपनिरीक्षक श्री अजय बरनवाल(नोडल अधिकारी), महिला उपनिरीक्षक रिया सिन्हा (सहायक नोडल अधिकारी) ,हेड ऑपरेटर नूपुर खरे ,आरक्षी हर्षिकेश कुमार आरक्षी मारुतेंद्र कुमार शुक्ल द्वारा तत्काल कार्रवाई करके पीड़ित अंजनी कुमार उपरोक्त हलधरपुर जनपद मऊ की फ्रॉड धनराशि में से संपूर्ण राशि 15638 होल्ड कराई गई थी जिसके तहत पीड़ित का संपूर्ण होल्ड धनराशि ₹ 15638/- वापस कराया गया।